उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–69/2019–20

United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch

बनाम्

M/s Maa Chanchali Enterprises

–: आदेश :–

16.12.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro के द्वारा धारा–14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी M/s Maa Chanchali Enterprises प्रो0 श्री गौतम बुद्धा पिता सुग्रीव भगत सा0–बेन्दीटाँड़, प्लॉट सं0–103, भवानीपुर नियर आंगनबाड़ी पारा शिक्षक स्कूल, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage/Registered Mortgage of Land/Building bearing Deed No. 6640/2005 dated 26.10.2005, Mouza Bhawanipur Sloagidih Thana No. 30, Khata No.-140, Plot No.-103, Area-03 decimals in the name of Smt Shyaam Mukhi Devi w/o Sri Sugriv Bhagat.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 7,00,000.00 (सात लाख) ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 and 2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है। पूर्व में सिर्फ उनके द्वारा समय की माँग की गई थी।

प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

16.12.2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

16.12.2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।